जिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज .... बनाम मु. सं.		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.7.22	आज पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वास्ते बहस दिनांक 12.8.22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा दिनांक 12.8.22 आज पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी पक्ष उपस्थित। पी.ओ. साहब बाहर पधारे हैं। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 17.8.22 को पेश हो। रीडर	
17.8.22	आज पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम शहदपुर तहसील महवा की आराजी ख०नं० 452 व 452/585 कुल किता 2 रकबा 0.09 हे० जिसमें अप्रार्थीगण का कोई लेना-देना नहीं है। अप्रार्थीगण लट्ठ एवं पैसे वाले व्यक्ति है जो प्रार्थी को आये दिन तंग व परेशान करते रहते हैं। व प्रार्थी की भूमि में होकर लट्ठ के बल पर रास्ता निकालना चाहते है। दिनांक 20.11.2020 को प्रार्थी अपनी भूमि ख०नं० 452 को देखने गया तो अप्रार्थीगण 01 लगा०5 डोल तोडकर आम रास्ता बना रहे थे। प्रार्थी ने रास्ता निकालने को मना किया तो अप्रार्थीगण फोस-फोल गालियां देने लगे और हेलानिया धमकी दी कि आज तो छोड रहे है किन्तु लट्ठ के बल पर रास्ता निकाल कर रहेंगे। अप्रार्थीगण द्वारा रास्ता निकालने धमकी देने से अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिमी आया है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का सन्तुलन उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा	

न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधि...

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज
....बनाम..

तारीख हुक्म	मु. सं.
	बखूबी साबित है। अत: प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर अर्ज है कि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रार्थी की खातेदारी भूमि में कोई रास्ता नहीं निकाले। अप्रार्थी स्वयं व अन्य किसी से मजाहमत मदाखलत पैदा करावें। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलबी की गई। अप्रार्थीगण के उपस्थित नहीं होने पर इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। हमने वकील प्रार्थी की बहस सुनी एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का अवलोकन किया। विवादित आराजी प्रार्थी की खातेदारी की आराजी है। इसमें अप्रार्थीगण का कोई लेना-देना नहीं है। प्रार्थी की भूमि में अप्रार्थीगण द्वारा डोल-मेड़ तोड़कर रास्ता निकालने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन प्रतीत होता है। प्राईमाफेसी व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार करने योग्य है। अत: अप्रार्थीगण के विरुद्ध जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 09-12-2020 को वादपत्र के निर्णय तक स्वीकार (पुष्ट) किया जाता है कि ग्राम शहपुर तहसील महवा की आराजी ख०नं० 452 में प्रार्थी के कब्जा काश्त में अप्रार्थीगण कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें और ना ही कोई रास्ता निकाले। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली मूल वाद हमराह रहे। आदेश सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा